

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगकृ/2015-16

दिनांक:-


:: कार्यालय आदेश ::

श्री अशोक कुमार, कनिष्ठ कृषि अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर (जयपुर) जिनकी जन्मतिथि 01.11.1959 है, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर दिनांक: 31.10.2019 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री अशोक कुमार के विरुद्ध

आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगकृ/2015-16

दिनांक:- 06.09.19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर ।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक), जयपुर संभाग, जयपुर ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर ।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, सांगानेर (जयपुर) ।
6. संबंधित कार्मिक श्री अशोक कुमार ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर